लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल–8

बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता कि पंहुच होगी।

Manual-8

A statement of the boards, councils, committees and other bodies Consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

8.1 <u>वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में दो समितियां गठित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–</u>

(क) **समिति का नाम** :– जिला स्तरीय सड़क एवं परिवहन समन्वय समिति।

समिति का संक्षिप्त परिचय :– जनपद स्तर पर सड़कों के समन्वित विकास हेतु इस समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है।

समिति की भूमिका :– यह समिति परामर्शदायी समिति के रूप में कार्य करती है।

समिति एवम् वर्तमान सदस्य :– समिति में निम्नलिखित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि नामित हैः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	जनपद के समस्त सांसद एवं विधान सभा के सदस्यगण	सदस्य
3–	जिला परिषद के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4–	नगर पालिका के अध्यक्ष	सदस्य
5–	जिला गन्ना अधिकारी, यदि कोई हो।	सदस्य
6–	प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य
7–	अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
8–	अधिशासी अभियन्ता, सिचांई विभाग	सदस्य
9–	सम्बन्धित समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के उप निदेशकों/जनपद स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
10–	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
11–	सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यदि कोई प्राधिकरण हो।	सदस्य
12–	उप निदेशक मण्डी परिषद्/जनपद स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
13–	छावनी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यदि कोई हो।	सदस्य
14–	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
15–	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड, रा0स0परि0निगम	सदस्य
16–	अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना)	सदस्य
17–	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0 सदस्य/संयोजक	

इस समिति के निम्नवत् कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगें :–

1– जनपद के लिये सड़क विकास हेतु एक दीर्घ कालीन महा–योजना तैयार करना।
2– जनपद में सड़कों के विकास हेतु सुनियोजित रणनीति तैयार करना।
3– विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु प्राविधानित राशि के लिये, मार्गों के महत्व एवं यातायात सघनता के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित कराना।
4– विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़कों के त्रैमासिक अनुश्रवण का कार्य करना।
5– विभिन्न विभागों द्वारा सड़क निर्माण में आने वाले गतिरोधों एवं समस्याओं का निस्तारण करना।
6– सड़कों के निर्माण का मूल्यांकन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित् करना।
7– निर्मित मार्गों पर जनता की सुविधा के लिये यातायात सघनता एवं महत्व के आधार पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
8– राज्य स्तरीय समिति के लिये ऐसे प्रस्ताव/विवरण प्रेषित करना जो राज्य सरकार के निर्णय की परिधि में आते हैं।

बैठक की आवृति :– समिति की बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य किये जाने का प्राविधान है, जिसके आयोजन का उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड का होता है।

क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? :– बैठक में जनता भाग नहीं ले सकती है।

क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है? : बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?:– बैठक का कार्यवृत्त जनता को प्राप्त कराया जा सकता है, जिसके लिये जनता के किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत/प्रेषित करना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(ख) समिति का नाम :– टैण्डर एडवाइजरी समिति।

समिति का संक्षिप्त परिचय :– टैण्डर एडवाइजरी समिति, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–477/लो0नि0 –1/02–75 (सा) 2002, दि0 31.07.2002 द्वारा विभाग के अन्तर्गत ''टैण्डर एडवाइजरी समितियों'' का गठन किया गया। इस समितियों द्वारा विभाग में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोटेशन/टैण्डर/ठेके स्वीकृति हेतु निर्धारित परिसीमाओं के अधीन परामर्श दिये जाने की प्रकिया है।

समिति की भूमिका :– समिति टैण्डर स्वीकृति के सम्बन्ध में परामर्शदायी समिति के रूप में कार्य करती है।

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :– टैण्डर एडवाइजरी समितियों का स्वरूप/सदस्यों/परिसीमाओं का विवरण निम्नवत् है।

शासनादेश संख्या–ए–2–1602/दस–95–24(14)/95 दिनांक 1 जून 1995 का ''विवरण पत्र–XVIII–ठेके /और टेण्डर''				टेण्डर एडवाइजरी समितियॉ
क्र0 सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएँ	
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 2. अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक)	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार परन्तु ₹1.00 करोड़ से अधिक के कार्य में मु0अभि0 स्तर–II से अनुमोदन आवश्यक होगा। (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक)	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–II–अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. तकनीकी परामर्शदाता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
		3. अधिशासी अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, (सिविल) लो0नि0वि0	3. ₹40.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–II–अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0	4. ₹18.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधीक्षण अभियन्ता– अध्यक्ष 2. अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता–सदस्य
		5. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0	5. ₹5.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सहायक अभियन्ता–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता–सदस्य
		6. अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) लो0नि0वि0	6. ₹2.00 लाख की सीमा तक (वि0/या0 कार्य)	1. अधीक्षण अभियन्ता– (वि0/या0)–अध्यक्ष 2. अधिशासी अभियन्ता– (वि0/या0)–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता– (वि0/या0)– सदस्य
		7. सहायक अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0	7. ₹2.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सहायक अभियन्ता–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता–सदस्य

शासनादेश संख्या 128/2002 दिनांक 13 मई 2002 एवं संशोधित संख्या 235/2002 दिनांक 11 जून 2002, का अनुपालन करते हुए, प्राप्त निविदायें निर्धारित समिति के समक्ष खुलने के पश्चात्, ₹40.00 लाख से अधिक की निविदाओं हेतु 6 दिन एवं 40 लाख के कम लागत की निविदाओं हेतु 3 दिन की समय सीमा के अन्दर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, प्राप्त निविदाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, विवरण संस्तुति सहित, निविदा के लिए निर्धारित टेण्डर एडवाइजरी समिति के अध्यक्ष को प्राप्त करायेंगे। निविदा सम्बन्धी अभिलेखों की प्राप्ति के तत्काल पश्चात्, समिति के अध्यक्ष, तिथि/स्थल व समय निर्धारित कर, समिति की बैठक आहूत करने हेतु सूचना जारी करेंगे। टेण्डर एडवाजरी समिति, प्राप्त निविदा पर अपना परामर्श अंकित कर, निविदाओं से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार प्राप्त समस्त अभिलेख, निविदायें स्वीकृति हेतु, सक्षम अभियन्ता को भेजेंगे, जिस पर वित्त लेखा अनुभाग–2 के उक्त शासनादेश संख्या–ए–2–1602/दस–95–24(14)/95 दिनांक 1 जून 1995, में प्रतिनिधानित वित्तीय प्राधिकार के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्ह एवं सक्षम अभियन्ता द्वारा दो दिन के अन्दर स्वीकृति जारी की जायेगी। निविदाओं की स्वीकृति जारी करने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर एडवाइजरी समिति का गठन, टेण्डर स्वीकृति हेतु, उपरोक्तानुसार इंगित, प्राधिकृत अधिकारी की सहायता एवं परामर्श हेतु किया गया है। समिति द्वारा किसी वित्तीय अधिकार का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 में वर्णित टेण्डर स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि वह टेण्डर की स्वीकृति जारी करते समय समस्त नियमावली का पूर्ववत् पालन करेगा एवं टेण्डर स्वीकृति में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा।

क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? :–	बैठक में जनता भाग नही ले सकती है।
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है? :–	बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? :–	बैठक का कार्यवृत्त जनता को प्राप्त कराया जा सकता है, जिसके लिये जनता के किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत/प्रेषित करना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना हो।

संख्या 2611 / III(2) / 07–75(सामान्य) / 2000

प्रेषक,

उत्पल सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड़ शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–I
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2007**

विषय :– लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण निविदा प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो के निर्बाध सम्पादन हेतु विभाग द्वारा आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं में पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दरें प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित विशिष्टियों / मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण तथा निविदा प्रणाली विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–128 / 2002 दिनांक 13 मई 2002, शासनादेश संख्या–235 / 2002 दिनांक 11 जून,2002 शासनादेश सं0–477 / लो0नि0–1 / 02–75 (सा0)2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं–2504 / लो0नि0–1 / 20–75(सा0)2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 में सिविल कार्यों से सम्बन्धित प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरणः–**

ठेकेदारों को निम्न श्रेणीयों में वर्गीकृत कर नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगीः–

(अ) श्रेणी–ए– ठेकेदार किसी भी सीमा तक कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ब) श्रेणी–बी– ठेकेदार 100.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा के कार्य के लिए निविदा देन के लिए सक्षम होंगे।

(स) श्रेणी–सी– ठेकेदार 40.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(द) श्रेणी–डी– ठेकेदार 25.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होगें।

2. निविदा सूचना का प्रकाशनः–

रूपये 200.00 लाख (रूप्ये दो करोड़ मात्र) से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यों की निविदायें नेशनल कम्पीटेटीव बिडिंग (National Completive Bidding) के अन्तर्गत टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के आधार पर व्यापक प्रसार वाले विभिन्न प्रमुख्य राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों (न्यूनतम एक राष्ट्रीय एवं एक प्रादेशिक) में, वृहद् प्रचार एवं प्रसार हेतु, सूचना निदेशक के माध्यम से दो बार प्रकाशित करायी जाय।

3. निविदाओं का विक्रयः–

निविदा सूचना में यथाइंगित कार्य से संबंधित खण्ड़, संबंधित खण्ड़ का निकटस्थ कोई एक खण्ड़, संबंधित खण्ड का वृत्तीय कार्यलय एवं निकटस्थ जनपद के किसी एक खण्ड से मूल्य देकर निविदायें क्रय की जा सकती हैं।

4. प्राप्त निविदाओं को खोला जानाः–

4.1 निविदाओं के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय पर सील टेण्ड़र बॉक्सो को विशेष वाहक के माध्यम से उसी दिन निविदाओं को खोलने हेतु निर्धारित कार्यजलय (खण्डीय/वृत्तीय) के अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2 निविदा खोलने के लिए कार्यालय का निर्धारण एवं अधिकारियों की समिति का गठन निम्नवत् होगाः–

(क) अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकता की सीमा तक (अर्थात ₹40 लाख की सीमा तक) की निविदाओं हेतु निविदायें संबिंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेगः–

(।) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष/संयोजक।

(।।) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त के किसी अन्य खण्ड का अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

(।।।) अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित खण्ड के सहायक अभियन्ता–सदस्य।

(ख) उच्च निविदायें अर्थात अधिशासी अभियन्ता की अध्किारिकता की सीमा (40 लाख से अधिक) से अधिक की निविदाओं हेतु निविदायें संकंधित अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु सक्षम समिति द्वारा खोली जायेगीः–

(।) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष।

(।।) संबंधित खण्ड के अधिासी अभियन्ता–सदस्य/संयोजक।

(।।।) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

5. निविदा स्वीकृति हेतु समिति के सदस्यों का निर्धारणः–

क्र0 सं0	अधिकार के प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमऐं	टेण्डर एडवाइजरी समितियॉ
1.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निश्पादन के लिए टेण्डर (निविदा) स्वीकृत करना	1. मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0	पूर्ण अधिकार	1 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अध्यक्ष 2 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता –सदस्य 3 संबंधित अधिशासी अभियन्ता –सदस्य
		2. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0	₹1.00 करोड की सीमा तक	1 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता– अध्यक्ष 2 संबंधित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3 संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त का एक अन्य अधिशासी अभियन्ता– सदस्य
		3. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0	₹40 लाख की सीमा तक	1 संबंधित अधिशासी अभियन्ता– अध्यक्ष 2 संबंधित वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वृत्त का एक अन्य नामित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3 संबंधित सहायक अभियन्ता–सदस्य

6. टर्न ओवर हेतु मापदंडः–

निविदा दाता विगत 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में प्राप्त भुगतान की राशि के बराबर धनराशि/लागत के कार्य हेतु निविदा दी जा सकेगी।

7. कार्यानुभव हेतु मापदण्डः–

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में, दी जा रही निविदा की राशि के 50 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

8. निविदा दाता हेतु मशीनों एवं उपकरणों का मानदंडः–

निविदा दाता स्वयं की अथवा/किराये आदि पर भी मशीनों एवं उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है।

9. तकनीकी स्टाफ हेतु मानदंड़ः–

(।) ₹25 लाख की सीमा तक के कार्य– किसी तकनीकी स्टाफ/अभियन्ता की आवश्यकता नहीं होगी।

(।।) ₹25 लाख से ₹100 लाख तक की सीमा तक के कार्य– एक डिप्लोमा धारक तकनीकी अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।

(।।।) ₹100 लाख से ₹500 लाख की सीमा तक के कार्य– एक डिग्री धारक तकनीकी अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।

(।V) ₹500 लाख से अधिक के कार्य – एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं दो डिप्लोमाधारक अभियन्तओं का होना आवश्यक होगा।

10. धरोहर राशि :–

समस्त अनुबन्ध बैंक गारन्टी के आधार पर गठित किये जा सकेगें।

उपरोक्तानुसार संशोधित प्राविधानों के फलस्वरूप पूर्ण निर्गत शासनादेश सं0–128/2002 दिनांक 13 मई 2002, शासनादेश संख्या–235/2002 दिनांक 11 जून,2002 शासनादेश सं0–477/लो0नि0–1/02–75 (सा0) 2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं–2504/लो0नि0–1/20–75(सा0)2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 उक्त सीमा तक संशोधित ससमझे जायेगे तथा उनमें निहित अन्य प्राविधान उक्त संशोधनों के आलोक में प्रासंगिकत अनुसार सथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या : (1)/।।।–(2)07, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखणड़ शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
5. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मंडल, पौडी/नैनीताल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
8. मुख्य अभियन्ता गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियेजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
13. लोक निर्माण अनुभाग –1/3 उत्तराखण्ड़ शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से
प्रदीप कुमार रावत
उप सचिव

शासनादेश संख्या–ए–2–1602/दस–95–24(14)/95 दिनांक 1 जून 1995 का ''विवरण पत्र–XVIII–ठेके /और टेण्डर''				टेण्डर एडवाइजरी समितियॉ
क्र0 सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएँ	
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 2. अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक)	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार परन्तु ₹1.00 करोड़ से अधिक के कार्य में मु0अभि0 स्तर–II से अनुमोदन आवश्यक होगा। (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक)	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–II–अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. तकनीकी परामर्शदाता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
		3. अधिशासी अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, (सिविल) लो0नि0वि0	3. ₹40.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–II –अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0	4. ₹18.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधीक्षण अभियन्ता– अध्यक्ष 2. अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता–सदस्य
		5. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0	5. ₹5.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सहायक अभियन्ता–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता–सदस्य
		6. अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) लो0नि0वि0	6. ₹2.00 लाख की सीमा तक (वि0/या0 कार्य)	1. अधीक्षण अभियन्ता– (वि0/या0)–अध्यक्ष 2. अधिशासी अभियन्ता(वि0/या0)–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता (वि0/या0)–सदस्य
		7. सहायक अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0	7. ₹2.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सहायक अभियन्ता–सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियन्ता–सदस्य